In The Court of Smt Tanveer Kaur, J.M, 1st Class Patna.

Hawai Adda – 139/2019
G.R no. 4311/2019

16.10.2020 अभिलेख संज्ञान के बिन्दु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। इस वाद में अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त आरोप पत्र संख्या 79/2020 दिनांक 27.06.2020 धारा 448,341,323,324,379,427,504,506,278,354(बी)/34. भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र के कॉलम संख्या 11 में वर्णित अभियुक्तगण 1.विलास कुमार, 2.आशिष आनन्द के विरूद्ध काण्ड दैनिकी के साथ समर्पित किया गया।

संज्ञान के बिन्दु पर विद्वान सहायक लोक अभियोजक का सुना। उनका तर्क है कि आरोप पत्र में नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत संज्ञान लेने हेतु काण्ड दैनिकी में प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध है। इसके विरूद्ध उक्त धाराओं के अन्तर्गत संज्ञान लिया जाये।

सुना। आरोप पत्र एवं काण्ड दैनिकी के अवलोकन से उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया आपराधिक मामला बनता है। अतः आरोप पत्र में नामांकित अभियुक्तगण **1.विलास कुमार, 2.आशिष आनन्द** के विरूद्ध धारा **448,341,323, 324,379,427,504,506,278,354(बी)/34. भा0द0वि0** के अन्तर्गत अपराध का **संज्ञान** लिया जाता है। बाद निजि संचिका में रखा जाता है। कार्यालय अभियुक्त के विरूद्ध सम्मन निर्गत करें। वाद दिनांक 17.12.2020 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित

न्या0 दण्डा0, पटना